[illegible] 5-6-25 [illegible]

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

05.06.25 पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्राथी अधिवक्ता अनुपस्थित।

विप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनकी सुनवाई का अवसर समाप्त किया जाता है।

वकील प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत वास्तें वाद पुनःबरामद किये जाने बाबत पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने तर्क दिया कि प्रार्थीगण का मूल वाद माननीय न्यायालय में दिनांक 27.03.2025 को सुनवाई हेतु नियत थी। उपरोक्त प्रकरण में वादीगण के अधिवक्ता बालोतरा न्यायालय में व्यस्त होने से अदालत में उपस्थित नहीं पाये और इस बात की सूचना वादीगण को भी नहीं दे सका, इसलिए उस रोज वादीगण भी उपस्थित नही होने से न्यायालय द्वारा पेशी तारीख 27.03.2025 को अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज कर दिया गया। प्रार्थीगण के आवेदन के खारिज होने की जानकारी होने पर अधिवक्ता वाद को पुनः बरामद किया जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया।, इस प्रकार वादीगण का दावा मजबूत तथ्यों व साक्ष्यों पर आधारित है। यदि माननीय न्यायालय द्वारा यदि आवेदन को पुनः बरामद नहीं किया जाता है, तो प्रार्थीगण के साथ अन्याय हो जावेगा। अतः न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पुनः बरामद किया जाने का आदेश फरमायें जावें ।

हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर [illegible] किया और प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं मूल पत्रावली का गंभीरतापूर्वक [illegible]लोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया गया। [illegible] की प्रार्थीगण का [illegible]न

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:25:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

74/2025

दिनांक 27.03.2025 को सुनवाई हेतु नियत था। लेकिन नियत पेशी तारीख पर वादीगण एवं वादीगण के अधिवक्ता के हाजिर नहीं होने पर प्रार्थीगण का वाद अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज किया गया। चूंकि प्रार्थीगण के अधिवक्ता की ओर से वाद को पुनः बरामद किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है और माननीय न्यायालय का यह मानना है, कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए एवं प्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ताकि वे अपने हक हकूको के लिए सम्पूर्ण पैरवी कर सके। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय यह उचित समझता है, कि वादी वाद पुनः बरामद किया जाना न्यायोचित है।

लिहाजा न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सी.पी.सी. वास्तें वाद पुनः बरामद किया जाना स्वीकार किया जाकर न्यायालय के आदेश दिनांक 27.03.2025 को निरस्त किया जाकर वादी का वाद पुनः बरामद किया जाता है।।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:25:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner